

कार्यालय प्रमुख अभियन्ता
(कार्मिक अनुभाग-2)
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

स्थानान्तरण सत्र 2022 में अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण हेतु राजस्व अधिष्ठान के अन्तर्गत जिलेदार /सींचपर्यवेक्षक/सींचपाल द्वारा दिये गये ऐच्छिक स्थलों की सूची:-

क्र०स०	कार्मिक का नाम /जन्मतिथि	कार्यरत कार्यालय नाम	स्थानान्तरण हेतु ऐच्छिक कार्यालयों के नाम	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
	जिलेदार			
1	श्री हरकिशन लाल /30.06.1964	सिंचाई खण्ड लोहाघाट।	सिंचाई खण्ड, रुद्रपुर।	(वरिष्ठ कार्मिक) दुर्गम से सुगम के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक-03 पर अंकित है परिवारिक परिस्थितियों एवं स्वयं के अस्वास्थ्यता के कारण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।
	सींचपर्यवेक्षक			
1	श्री हर्षपति गौड /12.7.1963	सिंचाई खण्ड, श्रीनगर।	1.सिंचाई खण्ड, देहरादून	(वरिष्ठ कार्मिक) दुर्गम से सुगम के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक-31 पर अंकित है परन्तु सेवानिवृत्त का एक वर्ष शेष होने एवं परिवार देहरादून में निवासरत के कारण अनुरोध के आधार पर भी स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना -पत्र प्राप्त है।
2	श्री अमित विश्वकर्मा /1.7.1983/ आजमगढ	सिंचाई खण्ड, लोहाघाट	1. सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी। 2. पी०एम०जी० एस० वाई० सिंचाई खण्ड हल्द्वानी। 3. जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी।	दुर्गम से सुगम के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 30 पर अंकित है। परिवारिक परिस्थितियों के कारण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।
3	श्री सर्वेश कुमार /1.6.1967	सिंचाई खण्ड दुगडडा (दुर्गम क्षेत्र में)	1.नलकूप खण्ड रुड़की।	(वरिष्ठ कार्मिक) स्वयं का स्वास्थ्य खराब रहने तथा पुत्र पैन्क्रियाज एवं अन्य बिमारी से पीडित होने के कारण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। (चिकित्सक की पर्ची संलग्नक है)
4	श्रीमती बीना शर्मा /1.7.1978	सिंचाई खण्ड नैनीताल	1.सिंचाई खण्ड काशीपुर।	परिवारिक परिस्थितियों एवं स्वयं अस्थामा बहदय बिमारी से पीडित होने के कारण दुर्गम क्षेत्र में कार्य करने में कठिनाई होने के फलस्वरूप दुर्गम से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु इनका प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। (चिकित्सक की पर्ची संलग्न)





	श्री वृजमोहन वधानी /12.3.1969	सिंचाई खण्ड, विकासनगर ।	1.सिंचाई खण्ड कालसी। (दुर्गम क्षेत्र) 2. सिंचाई खण्ड नरेन्द्रनगर (दुर्गम क्षेत्र में) 3. सिंचाई खण्ड टिहरी।	सुगम क्षेत्र में गर्म जलवायु शूट न होने के कारण इनका अक्सर शारीरिक एवं मानसिक अस्वस्थता के कारण सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है।
6	श्री बीरेन्द्र सिंह चौहान /1.6.1968	सिंचाई खण्ड कालसी।(दुर्गम क्षेत्र में)	सिंचाई खण्ड उत्तराकाशी।	परिवारिक परिस्थितियों के कारण दुर्गम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।
7	श्री मामचन्द्र /20.12.1962	सिंचाई खण्ड देहरादून।	सिंचाई खण्ड विकासनगर।	(वरिष्ठ कार्मिक) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 35 पर अंकित है धर्मपत्नी के अस्वस्थता के कारण सुगम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है इनका प्रार्थना-पत्र मा0 विधायक-विकासनगर जिला देहरादून के माध्यम से भी प्राप्त हुआ है।
8	श्री सतीश चन्द्र /22.11.1967	सिंचाई खण्ड रानीखेत।	1.सिंचाई खण्ड काशीपुर 2-नलकूप खण्ड बाजपुर 3-नलकूप खण्ड रामनगर।	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 42 पर अंकित है, इनका एक्सीडेंट होने से दायां कुल्हे की हड्डी टूटने के कारण रॉड पड़ी है एवं पर्वतीय क्षेत्र में चलने फिरने में परेशानी हो रही है जिस कारण दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। (चिकित्सक की पर्ची संलग्न)
9	श्री मालचन्द्र सिंह राणा	सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग	1.लघूडाल खण्ड, उत्तरकाशी 2. सिंचाई खण्ड उत्तरकाशी	दुर्गम क्षेत्र से सुगम क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 13 पर अंकित है अपनी परिवारिक परिस्थितियों के कारण दुर्गम से दुर्गम में स्थानान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।
10	श्री परस राम सागर /7.8.1971	सिंचाई खण्ड रुद्रपुर।	1.सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी 2.सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा। 3. सिंचाई खण्ड रानीखेत	सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 05 पर अंकित है
11	श्रीमती अनीता /25.9.1963	सिंचाई खण्ड दुगड्डा।	1. सिंचाई खण्ड, थराली 2. सिंचाई खण्ड, चमोली 3. सिंचाई खण्ड, रुद्रप्रयाग 4. सिंचाई खण्ड, केदारनाथ।	(वरिष्ठ कार्मिक) सुगम क्षेत्र से दुर्गम क्षेत्र के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 34 पर अंकित है
12	श्री भूपेन्द्र कुमार /1.8.1998	सिंचाई खण्ड पिथौरागढ़	1 सिंचाई खण्ड, अल्मोड़ा 2. सिंचाई खण्ड नैनीताल 3. सिंचाई खण्ड नैनीताल 4.सिंचाई खण्ड, काशीपुर 5. नलकूप खण्ड बाजपुर। 6.सिंचाई खण्ड रामनगर।7. नलकूप खण्ड रामनगर।	

3

4

सींचपाल			
कु अनुधनगर / 15.3.1991 / सींचपाल	सिंचाई खण्ड, चमोली।	1. सिंचाई खण्ड कालसी (दुर्गम क्षेत्र) 2. सिंचाई खण्ड विकासनगर। 3. सिंचाई खण्ड देहरादून।	दुर्गम से सुगम के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 37 पर अंकित है इनके द्वारा स्वास्थ्य समस्या, गर्भावस्था एवं छोटी पुत्री के पालन-पोषण व देख रेख रेख इत्यादि गंभीर पारिवारिक समस्या के कारण स्वान्तरण हेतु प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, चमोली के पत्रांक-843/सि0ख0च0/राजस्व अनुभाग /चमोली / दिनांक 02.06.2022 द्वारा इनके स्थानान्तरण की संस्तुति की गयी है। (चिकित्सक के पर्ची संलग्न)
अरविन्द कुमार गुप्ता / 1.4.1964	लघु डाल खण्ड, अल्मोड़ा	1. जमरानी बांध निर्माण खण्ड-2, हल्द्वानी। 2. सिंचाई खण्ड, हल्द्वानी। 3. नलकूप खण्ड हल्द्वानी।	वरिष्ठ कार्मिक) दुर्गम से सुगम के लिए अनिवार्य स्थानान्तरण की पात्रता सूची में इनका नाम क्रमांक 13 पर अंकित है

(सी0एन0 राय)
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी (कामिक-02)
कृते प्रमुख अभियन्ता

2